# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :– 6291/2022**

सूरजमल मीणा **–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
3. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, शिक्षा संकुल, जेएलएन मार्ग, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक (प्रशासन), कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

**–प्रत्यर्थीगण**

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 07.12.2022
**आदेश की दिनांक** : 09.05.2024

**उपस्थित –**
**अपीलार्थी की ओर से** : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अधिवक्ता
**प्रत्यर्थी विभाग की ओर से** : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

**समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)**
**चेतन राम देवड़ा, सदस्य**

## आदेश

प्रस्तुत अपील में प्रत्यर्थी विभाग के आलौच्य आदेश दिनांक 24.11.2022 (अनुलग्नक–1) को अपास्त करने एवं अपीलार्थी को वर्ष 2022–23 की रिक्ति के विरूद्ध संस्थापन अधिकारी के पद पर पदोन्नति का अनुतोष चाहा गया है।

प्रस्तुत अपील अनुसार अपीलार्थी वर्तमान में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर आयुक्त कार्यालय में जयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में दिनांक 24.11.2022 (अनुलग्नक–1) के आदेश को चुनौती दी गई है जिसके द्वारा अपीलार्थी को संस्थापन अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए चयनित नहीं किया गया जबकि कनिष्ठ कार्मिकों को स्थापना अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के द्वारा कुल 6 कार्मिकों को पदोन्नत किया गया था जबकि संस्थापन अधिकारी के कुल 15 पद स्वीकृत थे और 2 कार्मिक पहले से ही संस्थापन अधिकारी के रूप में काम कर रहे है और अब भी 7 पद खाली है। प्रत्यर्थी विभाग ने नियम 1999 के नियम 32 का उपयोग करके भेदभावपूर्ण तरीके से कनिष्ठ उम्मीदवारों को संस्थापन अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया, जो वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी से नीचे है, जबकि अपीलार्थी वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या 1 पर है। अपीलार्थी अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग से है और अपीलार्थी को शुरूआत में एलडीसी के पद पर नियुक्त किया गया था। इसके बाद वर्ष 2005 में अपीलार्थी को दिनांक 26.04.2005 (अनुलग्नक–2) के आदेश द्वारा वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नत किया गया। अपीलार्थी को पुनः आदेश दिनांक 31.10.2012 (अनुलग्नक–3) के द्वारा दिनांक 15.11.2010 से कार्याल सहायक के पद पर राजकीय महाविद्यालय हनुमानगढ़ में पदस्थापित किया गया।

अपीलार्थी को राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम, 1999 के तहत दिनांक आदेश 05.01.2016 (अनुलग्नक–4) द्वारा कार्यालय अधीक्षक के पद पर पदोन्नत किया गया और राजकीय महाविद्यालय, सवाईमाधोपुर में पदस्थापित किया गया। इसके बाद अपीलार्थी को आदेश दिनांक 12.12.2019 (अनुलग्नक–5) द्वारा प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 04.06.2021 (अनुलग्नक–6) द्वारा अधिकारियों की प्रोविजनल वरिष्ठता सूची जारी की गई जिसमें अपीलार्थी का नाम चयन वर्ष 2019–20 के अनुसार वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या 2 पर रखा गया जबकि कनिष्ठ कार्मिकों का नाम चयन वर्ष 2020–21 के अनुसार वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी से नीचे रखा गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 07.07.2022 द्वारा जारी वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 1 पर रखा गया क्योंकि वरिष्ठता सूची में शीर्ष पर रखा गया उम्मीदवार सेवानिवृत हो गया था इसलिए अपीलार्थी को वरिष्ठता सूची में शीर्ष पर रखा गया। वरिष्ठता सूची में कनिष्ठ कर्मचारियों को अपीलार्थी से नीचे रखा गया था क्योंकि अपीलार्थी के पास चयन वर्ष 2019–20 के तहत उच्च वरिष्ठता थी, जबकि कनिष्ठ कार्मिकों का चयन वर्ष 2020–21 और 2021–22 के तहत किया गया। अपीलार्थी ने दिनांक 25.11.2022 को अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया जिसका आज दिनांक तक कोई निस्तारण नहीं किया गया। आलौच्य आदेश द्वारा अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिकों की संस्थापन अधिकारी के पद पर पदोन्नति की जाकर अपीलार्थी को वंचित रखने की कार्यवाही नियम विरूद्ध, मनमानी एवं भेदभाव पूर्ण है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 24.11.2022 (अनुलग्नक–1) को अपास्त कर अपीलार्थी को उसकी वरिष्ठता के आधार पर प्रशासनिक अधिकारी से संस्थापन अधिकारी के पद पर वर्ष 2022–2023 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नत करने का अनुतोष प्रदान किया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियमों के नियम 32 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष वर्ष 2022–23 की नियमित डी०पी०सी० के क्रम में दिनांक 01.04.2022 को कार्यरत प्रशासनिक अधिकारियों की सूची संस्थापन अधिकारी पद पर पदोन्नति हेतु रखी गई। विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा विचार कर नियमानुसार पात्र प्रशासनिक अधिकारियों की पदोन्नति संस्थापन अधिकारी के पद पर की गई है। विभाग में संस्थापन अधिकारी के कुल 15 पद स्वीकृत है जिसमें 2 पद अनुसूचित क्षेत्र (TSP) में तथा 13 पद गैर अनुसूचित क्षेत्र (NTSP) मं स्वीकृत है। (अनुलग्नक आर–1)। कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 20.11.1997 के उपाबन्ध ।।। के अनुसार पदोन्नति के लिए गैर अनुसूचित क्षेत्र में प्रचलित रोस्टर के अनुसार गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्वीकृत कुल 13

पदों में अनारक्षित के 10 पद, अ०जा० के 02 पद एवं अ०ज०जा० के 01 पद (अनुलग्नक आर–2) तथा कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 01.12.2021 के अनुसार रोस्टर का बिन्दु संख्या 01 दिव्यांगजन हेतु क्षैतिज आरक्षित है (अनुलग्नक आर–3)। दिनांक 01.04.2022 को संस्थापन अधिकारी पद पर गैर अनुसूचित क्षेत्र में 03 कार्मिक (02 सामान्य तथा 01 अ०ज०जा०) कार्यरत थे (संलग्नक आर–4)। कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र–आदेश दिनांक 20.11.1997 के उपाबन्ध ।।। के अनुसार पदोन्नति के लिए गैर अनुसूचित क्षेत्र में प्रचलित रोस्टर के अनुसार अ०ज०जा० वर्ग हेतु 01 पद आरक्षित है जो दिनांक 01.04.2022 पूर्व में ही सम्बन्धित वर्ग के अन्य कार्मिक द्वारा भरा हुआ था। इस प्रकार पदोन्नति हेतु वर्ष 2022–23 में अ०ज०जा० वर्ग की रिक्ति ही नही बनती है तथा अपीलार्थी अन्य पदोन्नत कार्मिकों से मूल पद (कनिष्ठ लिपिक) पर प्रथम नियुक्ति (अपीलार्थी की कनिष्ठ लिपिक पद पर नियुक्ति दिनांक 17.10.1992 है जबकि अन्य पदोन्नत कार्मिकों की कनिष्ठ लिपिक पद पर नियुक्ति का दिनांक क्रमशः 09.04.1986, 30.06.1984, 09.04.1986, 22.02.1986, 24.12.1986 एवं 23.01.1985 है) अनुसार कनिष्ठ है, अतः अपीलार्थी को सम्बन्धित डी०पी०सी० वर्ष में पदोन्नत नहीं किया गया है। अपीलार्थी द्वारा पूर्व में वरिष्ठ सहायक, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारी के पद पर आरक्षित वर्ग के अभ्यांश का लाभ प्राप्त कर मूल वरिष्ठता में वरिष्ठ कार्मिकों से पूर्व ही पदोन्नति प्राप्त की गई है। संस्थापन अधिकारी पद की पदोन्नति में अ०ज०जा० वर्ग का अभ्यांश पूर्व में पूर्ण होने एवं चयनित अन्य पात्र कार्मिकों से मूल पद (कनिष्ठ लिपिक) पर प्रथम नियुक्ति अनुसार कनिष्ठ होने के कारण अनारक्षित वर्ग की रिक्ति के विरूद्ध पदोन्नति हेतु विचार नही किया गया। विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक कार्यवाही विवरण के अनुसार–"पात्रता सूची के क्रम संख्या 01 पर अंकित अपीलार्थी (कनिष्ठ लिपिक) पर प्रथम नियुक्ति अनुसार कनिष्ठ होने एवं अ०ज०जा० वर्ग का अभ्यांश पूर्व में ही पूर्ण हो जाने के कारण इनका चयन नहीं किया गया।" (अनुलग्नक आर–6)। अपीलार्थी द्वारा पदोन्नति वर्ष 2019–20 में आरक्षित वर्ग के अभ्यांश का लाभ प्राप्त कर मूल वरिष्ठता में वरिष्ठ कार्मिकों से पूर्व ही प्रशासनिक अधिकारी पद पर पदोन्नति प्राप्त की गई है। अपीलार्थी मूल पद (कनिष्ठ लिपिक) पर प्रथम नियुक्ति दिनांक के अनुसार कनिष्ठ होने एवं अ०ज०जा० वर्ग का अभ्यांश पूर्व में ही पूर्ण हो जाने के कारण अपीलार्थी का चयन नहीं किया गया। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने प्रत्यर्थी विभाग के जवाब का जवाब–उल–जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रत्यर्थी विभाग में संस्थापन अधिकारी के जबाब के अनुसार 10 पद रिक्त थे। जिन पर प्रत्यर्थी विभाग ने केवल मात्र 6 प्रशासनिक अधिकारी को आदेश दिनांक 24.11.2022 के द्वारा, जो वरिष्ठता सूची दिनांक 07.07.2022 (अनुलग्नक–7) में अपीलार्थी से कनिष्ठ है, को अपीलार्थी से पूर्व

पदोन्नत किया गया तथा अपीलार्थी वरिष्ठ होने के बावजूद तथा संस्थापन अधिकारी के पद रिक्त होने के बावजूद अपीलार्थी को वर्ष 2022–23 की रिक्तियों के विरूद्ध संस्थापन अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रदान नही की, जबकि नियमानुसार अपीलार्थी अपने कनिष्ठ से पूर्व वर्ष 2022–23 की रिक्तियों के विरुद्ध संस्थापन अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रत्यर्थी विभाग में वर्ष 2022–23 की रिक्तियों के विरूद्ध संस्थापन अधिकारी के जबाब के कथनों के अनुसार आज भी 5 पद रिक्त है तथा अपीलार्थी के अलावा प्रशासनिक अधिकारी के पद पर और कोई भी व्यक्ति उक्त वर्ष में पदोन्नति योग्य नहीं है। अपीलार्थी को पद रिक्त होने के बावजूद पदोन्नति से वंचित किया गया है। अपीलार्थी कनिष्ठ लिपिक के पद पर आदेश दिनांक 24.11.2022 में पदोन्नत कार्मिकों से बाद में नियुक्त हुआ था। उक्त संबंध में निवेदन है कि संस्थापन अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रशासनिक अधिकारी के पद से की जाती है तथा अपीलार्थी दिनांक 24.11.2022 में पदोन्नति कार्मिकों से पूर्व वरिष्ठ सहायक के पद पर तथा सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर तथा अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी व प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नत हुआ था। इसलिए प्रशासनिक अधिकारी के पद की वरिष्ठता के अनुसार संस्थापन अधिकारी के पद पर पदोन्नति की जाती है। नियमानुसार प्रशासनिक अधिकारी के पद की वरिष्ठता के अनुसार ही प्रत्यर्थीगण को संस्थापन अधिकारी के पद पर पदोन्नति की जानी चाहिए, परन्तु प्रत्यर्थीगण ने कनिष्ठ लिपिक की वरिष्ठता मानते हुए अपीलार्थी को पदोन्नति से वंचित किया है। दिनांक 24.11.2022 में पदोन्नत कार्मिक व अपीलार्थी का समस्त पदों पर पदोन्नति चार्ट अनुलग्नक–11 पर उपलब्ध है। पदोन्नति आदेश दिनांक 24.11.2022 में राजीव चौधरी जिसको अधिशेष होने के पश्चात् वर्ष 1998 में कनिष्ठ लिपिक के पद पर प्रत्यर्थी विभाग में समायोजित किया था तथा राजस्थान सिविल सेवायें (समायोजन एवं अधिशेष कार्मिक) नियम 1969 के नियम 15 के अनुसार सरप्लस होकर आने वाले कर्मचारी की वरिष्ठता विभाग में कार्यरत् कार्मिकों के अंत में जोड़ी जायेगी। अपीलार्थी कनिष्ठ लिपिक के पद पर प्रत्यर्थी विभाग में राजीव चौधरी से पूर्व से कार्यरत् है, परन्तु राजीव चौधरी अपीलार्थी से कनिष्ठ लिपिक के पद पर भी कनिष्ठ होने के बावजूद अपीलार्थी से पहले उसको संस्थापन अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई है। जो उक्त सेवा नियों के विपरीत है। राजीव चौधरी को दिनांक 16.06.1998 के आदेश द्वारा प्रत्यर्थी विभाग में कनिष्ठ लिपिक के पद पर अधिशेष होने के पश्चात् समायोजन किया गया था, जबकि अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग में दिनांक 22.10.1992 को कनिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यग्रहण किया था। इसलिए प्रत्यर्थी विभाग का यह कथन कि किसी भी पद पर अपीलार्थी से कनिष्ठ को संस्थापन अधिकारी को पद पर पदोन्नति प्रदान नहीं की गई है, वह विधि विरुद्ध है तथा रिकॉर्ड के विपरीत है। उक्त आधार पर प्रत्यर्थीगण का जबाब अस्वीकार कर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता ने अपीलार्थी के जवाब–उल–जवाब के जवाब में शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु आरक्षित पद पर पूर्व में ही कृपाल सिंह मीणा (अनुसूचित जनजाति) कार्यरत है। इस प्रकार पदोन्नति हेतु वर्ष 2022–23 में अनुसूचित जनजाति वर्ग की रिक्ति ही नही बनती है तथा अपीलार्थी अन्य पदोन्नत सभी कार्मिकों से मूल पद (कनिष्ठ लिपिक) पर प्रथम नियुक्ति अनुसार कनिष्ठ है। (अपीलार्थी की कनिष्ठ लिपिक पद पर नियुक्ति दिनांक 17.10.1992 है जबकि अन्य पदोन्नत कार्मिकों की कनिष्ठ लिपिक पद पर नियुक्ति का दिनांक क्रमशः 09–04–1986, 30–06–1984, 09–04–1986, 22–02–1986, 24–12–1986 एवं 23–01–1985 है।) आरक्षित वर्ग के पर्याप्त प्रतिनिधित्व (पर्याप्त प्रतिनिधित्व से रोस्टर बिन्दु के अनुसार अनुसूचित जातियों का 16 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों का 12 प्रतिशत प्रतिनिधित्व अभिप्रेत है।) उपरान्त आरक्षित वर्ग किसी कार्मिक को अनारक्षित रिक्ति के विरूद्ध तभी पदोन्नत किया जा सकता है जब आरक्षित वर्ग के कार्मिक से सेवा में प्रवेश के समय कनिष्ठ किसी अनारक्षित वर्ग के कार्मिक को पदोन्नत किया जाए। अपीलार्थी पदोन्नत अन्य सभी कार्मिकों से कनिष्ठ है। अतः अपीलार्थी को सम्बन्धित डी०पी०सी० वर्ष में पदोन्नत नही किया गया है। अपीलार्थी द्वारा पूर्व में वरिष्ठ सहायक, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारी के पद पर आरक्षित वर्ग के अभ्यांश का लाभ प्राप्त कर मूल वरिष्ठता में वरिष्ठ कार्मिकों से पूर्व ही पदोन्नति प्राप्त की गई है। संस्थापन अधिकारी पद की पदोन्नति में अ०ज०जा० वर्ग का अभ्यांश पूर्व में पूर्ण होने एवं चयनित अन्य पात्र कार्मिकों से मूल पद (कनिष्ठ लिपिक) पर प्रथम नियुक्ति अनुसार मूल वरिष्ठता में कनिष्ठ होने के कारण अनारक्षित वर्ग की रिक्ति के विरूद्ध पदोन्नति हेतु विचार नही किया गया। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी गई और पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में प्रत्यर्थी विभाग के आलौच्य आदेश दिनांक 24.11.2022 (अनुलग्नक–1) को अपास्त करने एवं अपीलार्थी को उसकी वरिष्ठता के आधार पर प्रशासनिक अधिकारी से संस्थापन अधिकारी के पद पर वर्ष 2022–23 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नत करने का अनुतोष चाहा गया है। अपीलार्थी के अनुसार आलौच्य आदेश द्वारा जिन कर्मचारियों को वर्ष 2022–23 की रिक्तियों के विरूद्ध संस्थापन अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया है वे समस्त प्रशासनिक अधिकारी की वरिष्ठता सूची दिनांक 07.07.2022 जो दिनांक 01.04.2022 के संन्दर्भ में जारी की गई है (अनुलग्नक–1) में अपीलार्थी से कनिष्ठ है। अपीलार्थी का नाम वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या 1 पर है। विभाग में संस्थापन अधिकारी के कुल 15 पद स्वीकृत है जिनमें से 13 पद नॉन–टीएसपी हेतु है। पदोन्नति कार्यवाही से पहले इस पद पर 3 कर्मचारी

कार्यरत है एवं 6 कर्मचारियों को इस आदेश द्वारा पदोन्नत किया है। इस प्रकार 4 पद अभी भी रिक्त है एवं अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग में एक मात्र कार्यरत प्रशासनिक अधिकारी शेष रहता। अपीलार्थी की तरफ से यह भी निवेदन किया कि आलौच्य आदेश में पदोन्नत श्री राजीव चौधरी कृषि विभाग से अधिशेष होकर इस विभाग में दिनांक 16.06.1998 को कार्यग्रहण किया है जबकि अपीलार्थी ने विभाग में कनिष्ठ सहायक (कनिष्ठ लिपिक) के पद पर दिनांक 22.10.1992 को कार्यग्रहण किया है। इस प्रकार राजीव चौधरी को अपीलार्थी से कनिष्ठ होने के बावजूद गलत रूप से पदोन्नत किया गया। अतः अपीलार्थी को वर्ष 2022–23 के संस्थापन अधिकारी के उपलब्ध रिक्त पद पर पदोन्नति प्रदान करने का अनुतोष चाहा गया।

प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से निवेदन किया कि प्रत्यर्थी विभाग में नॉन–टीएसपी क्षेत्र हेतु संस्थापन अधिकारी 13 पद स्वीकृत है जिनमें अनारक्षित 10 पद, एससी हेतु 2 एवं एसटी हेतु 1 पद निर्धारित है। आलौच्य आदेश जारी होने से पहले दिनांक 07.07.2022 को 3 कार्मिक इस पद पर कार्यरत है जिनमें से 2 सामान्य एवं एक अनुसूचित जनजाति सवंर्ग से है। कार्मिक विभाग के अधिसूचना दिनांक 11.09.20211 द्वारा एससी एवं एसटी के लिए पारिमाणिक वरिष्ठता के साथ आरक्षण रोस्टर बिंदुओं के निःशेष होने एवं पदोन्नति की पर्याप्तता तक जारी रहेगा। उसके पश्चात रिपलेसमेन्ट थ्योरी (Replacement Theory) लागू होगी। एससी वर्ग हेतु आरक्षित पद पर पूर्व से ही एक कर्मचारी कार्यरत होने से वर्ष 2022–23 में एसटी वर्ग की रिक्ति नहीं बनती है। साथ ही अपीलार्थी अन्य पदोन्नति समस्त कार्मिकों से सेवा में प्रवेश के अनुसार मूल पद (क.लि.) पर प्रथम नियुक्ति के अनुसार कनिष्ठ है। इस कारण अपीलार्थी को वर्ष 2022–23 की डीपीसी में पदोन्नत नहीं किया गया है। पदोन्नत सभी कार्मिक सेवा में प्रवेश के समय क.लि. के पद पर मूल वरिष्ठता में अपीलार्थी से वरिष्ठ है।

उभयपक्ष के तर्कों एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी विभाग में संस्थापन अधिकारी के नॉन–टीएसपी हेतु 13 पद स्वीकृत है जिनमें से 10 अनारक्षित (सामान्य), 2 पद एससी एवं 1 पद एसटी हेतु निर्धारित है। वर्ष 2022–23 की डीपीसी से पहले इन पदों पर 3 कर्मचारी पदस्थापित है जिनमें 2 सामान्य एवं 1 एसटी संवर्ग का कर्मचारी है। पदोन्नति हेतु 8 पद सामान्य एवं 2 पद एससी हेतु उपलब्ध है एवं उनमें से 1 पद रोस्टर के बिंदु संख्या 1 दिव्यांगजन हेतु क्षैतिज आरक्षित है। इससे स्पष्ट है कि इन उपलब्ध रिक्तियों में एसटी हेतु कोई पद आरक्षित/निर्धारित नहीं है। कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 में आरक्षण के संबंध में निम्न व्यवस्था की गई है। अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 नीचे उद्धत की जा रही हैः–

**"1. Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Rajasthan Various Service (Amendment) Rules, 2011.

(2) They shall be deemed to have come into force w.e.f. 1-4-1997.

**2. Amendment**- After the existing last proviso in the Rule mentioned in Column No. 3 against each of the Service Rules mentioned in Column No. 2 of the Schedule appended hereto, the following new proviso shall be added at the next serial number, namely:-

"Provided that reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes employees, with consequential seniority, shall continue till the roster points are exhausted; and adequacy of promotion is achieved.

Once the roster points are complete the theory of replacement shall thereafter be exercised in promotion whenever vacancies earmarked for Scheduled Castes/Scheduled Tribes employees occur.

If on the application of these provisions the Scheduled Castes/Scheduled Tribes employees who had been promoted earlier and are found in excess of the adequacy level,shall not be reverted and shall continue on ad-hoc basis, and also any employee who had been promoted in pursuance to Notification No. F. 7(1)DOP/A-II/96 dated 1-4-1997 shall not be reverted."

उक्त से स्पष्ट है कि आरक्षित पदों के विरूद्ध 100 प्रतिशत पदोन्नति के पश्चात रिपलेशमेन्ट थ्योरी लागू होगी। चूंकि एसटी संवर्ग हेतु निर्धारित एक पद पहले से भरा हुआ है तो उस पद के रिक्त होने पर ही एसटी संवर्ग के कर्मचारी की पदोन्नति संस्थापन अधिकारी के पद पर होगी।

जहां तक अपीलार्थी की वरिष्ठता एवं उसके आधार पर पदोन्नति प्रदान करने का प्रश्न है। यह स्पष्ट है कि प्रशासनिक अधिकारी पद पर कार्यरत कार्मिकों के 01.04.2022 के संदर्भ में दिनांक 07.07.2022 को जारी वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी क्रम संख्या 1 पर है परंतु विचारणीय यह है कि क्या इस आधार पर अपीलार्थी अनारक्षित (सामान्य) उपलब्ध पद के विरूद्ध पदोन्नति हेतु पात्र है या नहीं। इस संबंध में अपीलार्थी के सेवा में प्रवेश के समय की वरिष्ठता (मूल वरिष्ठता) को देखा जाना आवश्यक है। पदोन्नति हेतु कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 के अनुसार रोस्टर के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति का प्रतिनिधित्व क्रमशः 16 प्रतिशत एवं 12 प्रतिशत से किसी भी परिस्थिति में आधिक्य नहीं होगा। परन्तु उक्त स्थिति के संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 13.09.2013 द्वारा स्थिति स्पष्ट की गई है, जो निम्नानुसार हैः–

1. **''कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 की पालना में पदोन्नति में अनुसूचित जाति/जनजाति का प्रतिनिधित्व क्रमशः 16 प्रतिशत एवं 12 प्रतिशत के अनुपात में होगा।**
2. **यदि अनुसूचित जाति/जनजाति का प्रतिनिधित्व 16 प्रतिशत एवं 12 प्रतिशत के अनुपात में पूर्ण है, तो Theory of replacement लागू होगी तथा उक्त वर्ग का पात्र राजसेवक उक्त वर्ग की रिक्ति पर ही पदोन्नत होगा। 8 या 8 से**

**कम पद की स्थिति में Theory of replacement लागू नहीं होगा। वरन कार्मिक विभाग के परिपत्रादेश दिनांक 20.111997 के अनुसार शेष रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की कार्यवाही होगी।**

3. **परन्तु यदि अनुसूचित जाति/जनजाति का प्रतिनिधित्व पूर्ण है किन्तु उक्त वर्ग का कोई पात्र राजसेवक अपनी सेवा में प्रवेश के समय की वरिष्ठता के आधार पर बिना पारिणामिक वरिष्ठता (Consequential Seniority) का लाभ लिये वरिष्ठ है तथा उसे पदोन्नत नहीं करने पर उससे सेवा में प्रवेश के समय का कनिष्ठ राजसेवक पदोन्नत हो रहा है तो पहले उसे अनारक्षित पद के विरूद्ध पदोन्नत किया जावेगा। किन्तु भविष्य में कुल पदों की गणना में उसके पद को आरक्षित की श्रेणी में गिना जाकर गणना की जावेगी। यदि आरक्षित वर्ग के किसी वरिष्ठ कार्मिक ने किसी स्तर पर भी पारिणामिक वरिष्ठता का लाभ लिया है, तो उसे क्रमशः 16 प्रतिशत एवं 12 प्रतिशत के अनुपात में पद रिक्त होने पर ही पदोन्नति प्रदान की जायेगी। परन्तु यदि सेवा में प्रवेश के समय का कनिष्ठ राजसेवक पदोन्नत हो रहा है तो उक्त स्थिति में भी उसे अनारक्षित पद के विरूद्ध पदोन्नत किया जायेगा।**

4. **सेवा में प्रवेश के समय की वरिष्ठता देखते समय यह महत्वपूर्ण नहीं है कि वह आरक्षण का लाभ लेकर चयनित हुआ है अथवा मैरिट के आधार पर यदि आरक्षण का लाभ लिए बिना चयनित कोई कार्मिक किसी एक स्तर पर पारिणामिक वरिष्ठता का लाभ लिए भी हो, तो भी सेवा में प्रवेश के समय की वरिष्ठता के आधार पर अनारक्षित पद के विरूद्ध पदोन्नत हो सकेगा बशर्ते कि आरक्षित श्रेणी में कोई पद रिक्त नहीं हो।**

5. **यदि उपरोक्त प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो तथा कैडर में पद कम हो, तो कैडर को संतुलित (Balance) करने की दृष्टि से अतिरिक्त पद की सृजन के प्रस्ताव कार्मिक विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को प्रेषित किये जा सकते है, किन्तु यह स्पष्ट है कि सेवा में प्रवेश के समय का पात्र वरिष्ठ राजसेवक पहले पदोन्नत होगा तथा वरिष्ठता भी उसी की रहेगी।''**

इससे स्पष्ट है कि यदि आरक्षित वर्ग का कोई कर्मचारी सेवा में प्रवेश के समय की मूल वरिष्ठता में वरिष्ठ है परंतु उच्चतर पद पर उस आरिक्षत वर्ग हेतु निर्धारित अभ्यांश पूरा हो जाने से रिक्ती उपलब्ध नहीं होने से उसकी पदोन्नति नहीं हो पा रही है एवं मूल वरिष्ठता में उससे कनिष्ठ सामान्य वर्ग के कर्मचारी की पदोन्नति होती है तो उस दशा में आरक्षित वर्ग के कर्मचारी को पदोन्नति से वंचित नहीं रखा जायेगा। उसे अनारक्षित वर्ग के पद के विरूद्ध पदोन्नति किया जायेगा एवं इस पदोन्नति को

आगामी वर्षों में उस आरक्षित वर्ग के पदोन्नति हेतु उपलब्ध होने वाले पद के विरूद्ध समायोजित किया जायेगा।

इस स्थापित विधिक स्थिति में यह देखना आवश्यक है कि क्या अपीलार्थी से सेवा में प्रवेश के समय कनिष्ठ कार्मिकों को पदोन्नत किया जाकर अपीलार्थी को पदोन्नति से वंचित रखा गया है। उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार अपीलार्थी की क.लि. के पद पर नियुक्ति अक्टूम्बर 1992 में हुई है जबकि आलौच्य आदेश में पदोन्नति किये गये श्री भंवर लाल कोली (09.04.1986), राजकुमार शर्मा (30.06.1984), अशोक कुमार (09.04.1986), नोरतमल गडै (22.02.1986), माद्योसिंह गहलोत (24.12.1986), राजीव चौधरी (23.01.1985) है। इस प्रकार समस्त पदोन्नति कार्मिक क.लि. के पद पर सेवा में प्रवेश के समय मूल वरिष्ठता में अपीलार्थी से वरिष्ठ है। श्री राजीव चौधरी कृषि विभाग से विधिवत अधिशेष किया जाकर प्रत्यर्थी विभाग में आदेश दिनांक 16.06.1986 द्वारा समावेश किया गया है। श्री राजीव चौधरी की प्रत्यर्थी विभाग में वरिष्ठता The Rajasthan Civil Service (Absorption Of Surplus Personnel) Rules 1969 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित होगी। इसके नियम 15 में वरिष्ठता निर्धारित के संबंध में निम्न प्रावधान हैः–

> **''15. Seniority.-(1) The seniority of a surplus employee appointed substantively to a permanent post in the service or cadre in which he is absorbed shall be determined by the appointing authority concerned by placing him below the junior-most permanent employee of the new service or department who has a longer period of continuous substantive service on the post compared to the continuous substantive service of the surplus employee on equivalent or higher post. The seniority of a surplus employee who is absorbed on a higher post on officiating basis shall be determined only in respect of his permanent post:**
>
> **Provided that the seniority of the surplus employee whose length of continuous service in substantive or officiatingcapacity or in both such capacities is lesser than the length of continuous service in substantive or officiating capacity or in both such capacities of the junior most permanent employce of the service or cadre of the New department in which such surplus employee has been absorbed, shall be determined by placing the surplus employee immediately below the said junior most permanent employee in the service or cadre of the department in which the surplus employee has been absorbed.**
>
> **Provided further that inter-se seniority of the surplus employeesabsorbed in a department/service/cadre or unit under an Appointing Authority and the employees of the service/cadre of the**

**new department, for promotion to higher post in the service or cadre in which he has been absorbed shall be determined according to the date of continued officiation in a class or category of post concerned or an equivalent or higher post provided such officiation was not of the fortuitous nature or ad-hoc or an urgent temporary appointment, not-withstanding their year substantive appointment or date of confirmation or the length of continuous substantive service in the different cadre post or service."**

स्पष्ट है कि अधिशेष कर्मचारी के नवीन विभाग में संस्थाई रूप से कार्यरत उससे लम्बी सेवा अवधि वाले कार्मिकों में कनिष्ठतम कार्मिक के नीचे वरिष्ठता निर्धारित किया जायेगा। अतः श्री चौधरी की वरिष्ठता उसके प्रत्यर्थी विभाग में कार्यग्रहण/समायोजन की तिथी से निर्धारित नहीं होगी बल्कि नवीन विभाग में उससे लम्बी अवधि के कार्मिकों में से कनिष्ठतम कर्मचारी के नीचे निर्धारित होगी। लिहाजा अपीलार्थी का यह तर्क मानने योग्य नहीं है कि श्री राजीव चौधरी ने प्रत्यर्थी विभाग में अपीलार्थी के बाद कार्यग्रहण करने से वह अपीलार्थी से कनिष्ठ है। अतः स्पष्ट है कि आलौच्य आदेश द्वारा पदोन्नत सभी कार्मिक सेवा में प्रवेश के समय क.लिपिक पद की मूल वरिष्ठता में अपीलार्थी से वरिष्ठ है। अपीलार्थी से मूल वरिष्ठता में किसी कनिष्ठ कर्मचारी को पदोन्नति प्रदान किया जाना नहीं पाया जाता है। अतः हम आलौच्य आदेश में कोई त्रुटि या नियम विरूद्धता नहीं पाते है।

उक्त विधिक स्थिति एवं तथ्यात्मक विश्लेषण के दृष्टिगत अपील अस्वीकार की जाती है।

**(चेतन राम देवड़ा)**
**सदस्य**

**(अनन्त भंडारी)**
**सदस्य (न्यायिक)**